>

Title: Regarding policy on land acquisition.

श्री राजाराम पाल (अकबरपुर): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आकर्षित करना चाहता हूं। आज राज्य सरकारों द्वारा पूरे देश में किसानों की जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। जिस प्रयोजन के लिए यह किया जाता है उस प्रयोजन में इसे न ला कर दूसरे प्रयोजन के लिए दिया जाता है जिससे पूरे देश के किसानों में असंतोष व्याप्त है। मेरे संसदीय क्षेत्र, शादीपुर न्याय पंचायत में 950 एकड़ जमीन यूपीएसआईडीसी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिगृहित की गई। वह जमीन इंडस्ट्री के उद्देश्य से धिगृहित की गई थी। लेकिन आज बड़े-बड़े बिल्डरों को वह जमीन दी जा रही है। जिस के कारण पूरे क्षेत्र का किसान 15 दिनों से धरने पर बैठा है। धरने पर महिलाएं, बच्चे, सभी खुले आसमान में बैठे हैं। उनका कहना है कि हम जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। मैं आप के माध्यम से भारत सरकार से मांग करना चाहता हूं कि शीध्र ही नया अधिग्रहण कानून लाया जाए और किसानों को जो जमीन यूपीएसआईडीसी को 7 लाख रूपये प्रति बिघे के मुआवजा में ली गई है उसका आज बाजार रेट 20 लाख रूपये प्रति बिघा हैं। उन्हें मुआवजा 20 लाख रूपये बिघे के हिसाब से दिया जाए एवं उन आश्रित परिवारों के एक-एक सदस्य को नौकरी दी जाए। इंडस्ट्रीयल क्षेत्र में उन्हें एक-एक प्लॉट दिया जाए।